

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)


राज अदालतसहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), गुडामालानी.....

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. केशरा पुत्र हरचन्द		1. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर
2. बुधा पुत्र हरचन्द		2. तहसीलदार गुडामालानी
3. जोगा पुत्र हरचन्द		
4. खमू पुत्र हरचन्द		
5. पांचा पुत्र हरचन्द		


जाति विशनोई निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

किस्म मुकदमा.....धारा 188, 92क, 209 रा.का.अ.

मु0नं0...46../21.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जे इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.06.2021	<p>वादीगण केशरा वगैरा की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री रामजीवन विशनोई द्वारा प्रतिवादीगण अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 188, 92क, 209 राजस्थान कायतकारी अधिनियम का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.06.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (वीरमाराम) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी </p>	
18/6/21	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलवा होकर पत्रावली आइन्दा 27/7/21 को पेश हो।</p>	
27/7/21	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/8/21 को पेश हो।</p>	
3-8-21	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलवा होकर पत्रावली आइन्दा 17/8/21 को पेश हो।</p>	
17/8/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील कारिण उपस्थित। उक्तकारिण का जकात अज्ञात। इलवा हो कर आज पत्रावली दिनांक 13/09/21 को पेश हो।</p>	




 सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

23/11/21

पत्रावली का प्रकाशन जाने के लिए
 मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है।
 वकील का भी नाम दे दिया है।
 कि इसके लिए भी प्रमाण
 है जो कोई भी दे सकता है।
 जहां उक्त प्रकरण स्वीकार
 करमाया जैसा वकील का भी नाम
 के विवेक पर उक्त प्रकरण
 प्रमाण प्रकरण स्वीकार किया
 जाता है पत्रावली लिखी
 सुनार होकर सरिकल इतना
 है।

(Signature)
 23/11/21

Report to head

वादार्थ
 का प्रमाण
 नहीं पता
 - काल
 23/11/21